अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

24/1/19/225 रामचन्द्र बनाम सुनील कस्वा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/02241 श्री राघवेन्द्र सिंह नरूका श्री दीपक पारीक	

रामचन्द्र बनाम सुनिल कस्वा वगैरह

24.9.17

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पेश। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित।

अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व प्रस्तुत विभाजन के वाद को नोट प्रेस में खारीज करवा कर द्वितीय वाद बिना न्यायालय की अनुमति के प्रस्तुत कर आदेश जेर अपील हासिल किया जो मूलतः कानून के विपरीत होने से ऐसे आदेश की चुनौति देने के लिए मियाद का तकनीकी बिन्दु आडे नहीं आता है। प्रसतुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधा में अंतिम बहस हेतु पेशी दिनांक 17.06.2019 नियत थी। दिनांक 17.06.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस नहीं कर जिला कलक्टर, जयुपर के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में बहस नहीं कर झूठें तथ्य अंकित कर अंतिम आदेश से लटका दिया। प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी दिनांक 17.06.2019 को आदेश दिनांक 17.06.2019 को न्यायालय हाजा में अपील प्रसतुत करने की सलाह दी। प्रार्थी ने दिनांक 17.06.2019 को आदेश की प्रतियों हेतु आवेदन किया जो दिनांक 18.06.2019 को प्राप्त हुई। विधिक सलाह के आधार पर प्रार्थी मौजूदा अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब अपरोक्त कारणों से सद्भाविक होकर क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने तत्पश्चात अपील की बहस कर कथन कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2018 को नोटप्रेस में खारिज किया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र नोटप्रेस में खारिज करवाने के साथ न्यायालय में द्वितीय वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई अनुमति न्यायालय से प्राप्त नहीं। ऐसी अनुमति के अभाव में द्वितीय वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्वच्छ हाथो से न्यायालय में उपस्थित नही हुआ था। धोखे से द्वितीय वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय को किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार प्राप्त नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को लाभ पहॅुचाने के लिए आदेश जेर अपील पारित कर न्यायिक प्रक्रिया का उल्लघंन किये जाने पर हमने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की है तथा न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 16.07.2019 विधि सम्मत है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। न्यायालया हाजा से अनुरोध है कि पूर्व स्थगन आदेश बढ़ाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में मनगढ़त तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें लगभग एक वर्ष मियाद बाहर अपील के देरी को क्षमा किये जाने को कोई भी युक्ति युक्त कारण अंकित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दु पर निरस्त किए जाने योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपील प्रस्तुती में देरी के लिए दिन प्रति दिन की देरी का कारण अंकित किया जाना होगा परन्तु अपीलांटस द्वारा उक्त विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के विपरीत दिन प्रति की देरी का कारण अंकित किए बिना मनगढ़त तथ्यों के आधार पर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने तत्पश्चात जवाब प्रार्थना पत्र स्थगन बहस में निवेदन कि अप्रार्थी / अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2018 जो अस्थायी निषेधाा प्रार्थना पत्र संख्या 35 / 2018 बउनवानी सुनील कस्वा बनाम रामचन्द्र मे पारित किया गया है के विरूद्व पूर्व में मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्रःटीए / 7380 / 2018 जिला जयपुर बउनवानी रामचन्द्र बनाम

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

६६

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

२४११९/२२५ रामलाड बनाम सुनील कस्वा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	२०१९/००२४१ श्री गजेन्द्र सिंह श्री दीपक पारीक	

लगातार

सुनील कस्वा प्रस्तुत किया जा चुका है जिस पर मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा दिनांक 31.10.2018 को निर्णय पारित किया जा चुका है। अप्रार्थी / अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2018 के विरूद्ध मान्नीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र टीए / संख्या 7380 / 2018 जिला जयुपर बउनवानी रामचन्द्र बनाम सुनील कस्वा प्रस्तुत किया जा चुका है एवं मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 31.10.2018 को उस पर निर्णय भी पारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अब अप्रार्थी / अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं रखता है । जब न्यायालय हाजा से उच्चतर न्यायालय से द्वारा अपीलाधीन आदेश बाबत् निर्णय किया जा चुका है तो उसके विपरीत निर्णय पारित करन का न्यायालय हाजा को कोई अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में भी प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से खारिज किया जावे।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा प्रस्तत मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर आदेश दिनांक 31.102.2018 की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 24.05.2018 प्रकरण संख्या 35 / 2108 के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से दिनांक 16.07.2019 को अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त किये है जबकि अपीलांट ने इससे पूर्व उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र मान्नीय राजस्व मण्डल राज., अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की थी। उक्त निगरानी में मान्नीय मण्डल ने आदेश दिनांक 31.10.2018 द्वारा उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 50 / 2016 आदेश दिनांक 15.07.2016 तथा प्रकरण संख्या 35 / 2018 आदेश दिनांक 24.05.2018 में कथित विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख की उभयपक्ष यथास्थिति बनाए रखने तथा एक–दूसरे के कब्जे काश्त में परस्पर हस्तक्षेप नहीं करते हुए मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देते हुए निगरानी का निस्तारण किया है। इस प्रकार मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश के प्रभावी रहते हुए न्यायालय हाजा द्वारा समान आराजी के बाबत् अन्य आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपीलांट द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए यह अपील प्रस्तुत की है। इस प्रकार विवादित आराजी बाबत् उच्चतर न्यायालय में निर्णय होने से हस्तगत अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

24/9/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर